

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर के आदेशानुसार चलाये जा रहे जनपद में वाछिंत/वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने वालों, टॉप-10, हिस्ट्रीशीटर, गैंगेस्टर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट प्रयवेक्षण में की कार्यवाही का विवरण—

थाना कैमरी-गौकसी का अपराधी, एक अदद नाजायज तमंचा व एक फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर के आदेशानुसार चलाये जा रहे जनपद में वाछिंत/वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने वालों, टॉप-10, हिस्ट्रीशीटर, गैंगेस्टर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट प्रयवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी कैमरी श्री अशोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कैमरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान हिन्दुस्तान ढाबा थाना क्षेत्र कैमरी के पास से एक अभियुक्त नाजिस पुत्र अब्दुल नवी निवासी टाण्डा हुरमतनगर थाना बिलासपुर जिला रामपुर को एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा एक फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो गैंग बनाकर गौकसी के जघन्य अपराध कारित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

नाजिस पुत्र अब्दुल नवी निवासी टाण्डा हुरमतनगर थाना बिलासपुर जिला रामपुर।

बरामदगी—

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1—मु0अ0सं0 262/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

2—मु0अ0सं0 368/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0-1986 थाना बिलासपुर रामपुर।

कार्यवाही :-

मु0अ0सं0 142/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट व 420,468,471 भादवि0 पंजीकृत के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना कैमरी जनपद रामपुर

1—श्री इन्द्रेण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कैमरी, रामपुर।

2—उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार भट्ट

3—कां0 230 मुख्तार आलम

4—कां0 1288 विकास कुमार



थाना कैमरी-गौकसी का अपराधी, एक अदद नाजायज तमंचा व एक फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार—

थाना टाण्डा :-05 लीटर रेक्टिफाइड केमिकल तथा केमिकल से बनी 40 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 26-08-2020 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा बाबू पुत्र भूरा निवासी ग्राम अहमदपुर थाना टाण्डा, रामपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर रेक्टिफाइड केमिकल तथा केमिकल से बनी 40 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद हुई। इस सम्बंध में थाना टाण्डा, रामपुर पर मु0अ0सं0-223/20 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना टाण्डा :-05 लीटर रेक्टिफाइड केमिकल तथा केमिकल से बनी 40 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना शाहबाद-250 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 27-08-2020 को थाना शाहबाद रामपुर पुलिस द्वारा मौसम पुत्र वाहिद खां निवासी मिलक हुसैनगंज थाना शाहबाद,रामपुर को मिलक हुसैनगंज के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस संबंध में थाना शाहबाद रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-371/20 धारा 250 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।



थाना शाहबाद-250 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पटवाई—एक अदद नाजायज बंदूक मय पांच कारतूस जिंदा, एक फर्जी आधार कार्ड के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—दिनांक 27-08-2020 को थाना पटवाई रामपुर पुलिस द्वारा यामीन पुत्र नौसे निवासी ग्राम गोविंदपुर थाना पटवाई, रामपुर को घोसीपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज देसी बंदूक 12 बोर मय 05 जिंदा कारतूस 12 बोर तथा एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। इस संबंध में थाना पटवाई रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 161/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मुकदमा अपराध संख्या 162/20 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।



थाना पटवाई—एक अदद नाजायज बंदूक मय पांच कारतूस जिंदा, एक फर्जी आधार कार्ड के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस द्वारा एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन प्रकरण में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

दिनांक 22-12-2019 को थाना गंज, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-832/19 धारा 147,148,149,307,353,143,186,188,336,436,427 भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम 25 नामजद व 300-400 अज्ञात में वॉछित तथा थाना कोतवाली, रामपुर पर मु0अ0सं0-655/19 धारा 147,148,149,307,302,353,186,143,332,333,188,435,336,427 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम नाजिम आदि 116 नामजद तथा 1000 से अधिक अज्ञात में वॉछित चल रहा अभियुक्त नासिर पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला झण्डा थाना गंज, रामपुर को बिलासपुर गेट से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

नासिर पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला झण्डा थाना गंज, रामपुर।

थाना अजीमनगर -दहेज की खातिर महिला को जलाकर हत्या करने में 01 अभियुक्ता गिरफ्तार—

लगभग दो वर्ष पूर्व वादी श्री नजाकत अली पुत्र इन्तजाम अली निवासी खेडा टाण्डा थाना अजीमनगर की पुत्री सीमा बी की शादी मौहम्मद आरिफ पुत्र बन्ने निवासी ग्राम डोकपुरी टाण्डा थाना अजीमनगर के साथ हुई थी। शादी के उपरान्त मौहम्मद आरिफ व उसके परिवारजन दहेज में एक बुलेरो कार की मांग करने लगे। दहेज की माँग पूरी न होने के पर वादी की पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी जिसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बंध में दिनांक 09-02-2020 को थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-28/20 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 व 3/4 मु0महि0 वि0 सु0 अधि0 बनाम मौ0 आरिफ आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था। थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा पूर्व में आरिफ(पति), बन्ने अली (ससुर) श्रीमती हनीफा (सास) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 27-08-2020 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वॉछित चल रही अभियुक्ता श्रीमती आसमा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना मिलक— ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, 1890 बरामद— दिनांक 27-08-2020 को थाना मिलक रामपुर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर किया गया, जिनके कब्जे से 1890 नकद बरामद हुए। इस संबंध में थाना मिलक पर मुकदमा अपराध संख्या 317ध20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1— वीर सिंह पुत्र हेतराम निवासी ग्राम जालिफनगला थाना मिलक, रामपुर।
- 2— सचिन पुत्र बाबू निवासी नवदिया थाना मिलक, रामपुर।
- 3— महबूब पुत्र अनवर हुसैन निवासी इस्लाम नगर थाना मिलक, रामपुर।
- 4— सलमान पुत्र शराफत निवासी नसीराबाद थाना मिलक, रामपुर।
- 5— इख्तियार पुत्र सफदर अली निवासी इस्लामनगर थाना मिलक रामपुर।

थाना शाहबाद-20 लीटर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-आज दिनांक 27-08-2020 को थाना शाहबाद रामपुर पुलिस द्वारा विककी पुत्र हुलासी राम निवासी ग्राम जगेसर थाना शाहबाद रामपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज शराब बरामद हुई। इस संबंध में थाना शाहबाद रामपुर पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही।

थाना बिलासपुर :-03 अभियुक्तगण 100 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ गिरफ्तार-
दिनांक 26-08-2020 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तगण को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1-बाबू पुत्र अहमदनवी निवासी टाण्डा हुरमतनगर थाना बिलासपुर, रामपुर।

2-कदीर पुत्र गुलाम हसन निवासी ग्राम टाण्डा हुरमतनगर थाना बिलासपुर, रामपुर।

3-बृजमोहन पुत्र देवीराम निवासी ज्वालापुर थाना बिलासपुर, रामपुर।

बरामदगी:-

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना मिलकखानम :-हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिलासपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27-08-2020 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर, अभियुक्त शाहिद को एक अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ महुनागर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त का नाम व पता:-एच.एस-27ए

शाहिद पुत्र नोसे अली निवासी ग्राम नूरपुर थाना मिलकखानम, रामपुर।

बरामदगी —

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।

आपराधिक इतिहास :-हिस्ट्रीशीटर अपराधी का आपराधिक इतिहास—

- 01-मु0अ0सं0-171/98 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना मिलकखानम, रामपुर।
- 02-मु0अ0सं0-050/99 धारा-379 भादवि थाना पटवाई, रामपुर।
- 03-मु0अ0सं0-018/99 धारा-379 भादवि थाना पटवाई, रामपुर।
- 04-मु0अ0सं0-030/99 धारा-379 भादवि थाना पटवाई, रामपुर।
- 05-मु0अ0सं0-077/99 धारा-379 भादवि थाना पटवाई, रामपुर।
- 06-मु0अ0सं0-078/99 धारा-379 भादवि थाना शाहबाद, रामपुर।
- 07-मु0अ0सं0-011/99 धारा-379 भादवि थाना शाहबाद, रामपुर।
- 08-मु0अ0सं0-330/98 धारा-379 भादवि थाना भोट, रामपुर।
- 09-मु0अ0सं0-019/98 धारा-379 भादवि थाना भोट, रामपुर।
- 10-मु0अ0सं0-046/99 धारा-379 भादवि थाना भोट, रामपुर।
- 11-मु0अ0सं0-159/99 धारा-379 भादवि थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद।
- 12-मु0अ0सं0-160/99 धारा-147,148,149,307 भादवि थाना भोट, रामपुर।
- 13-मु0अ0सं0-1121/99 धारा-379 भादवि थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद।
- 14-मु0अ0सं0-164/99 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद।
- 15-मु0अ0सं0-114/99 धारा-379 भादवि थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद।
- 16-मु0अ0सं0-142/99 धारा-379 भादवि थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद।

कार्यवाही—

01-मु0अ0सं0-105/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 01- श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना प्रभारी मिलकखानम, रामपुर।
- 02- कां0 244 सुमित कुमार
- 03- कां0 224 नवाब शरीफ



थाना मिलकखानम :-हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार